कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सवाई माधोपुर

क्रमांक :– स्था./निविदा/2025/831 दिनांक :– 12.06.2025

:: खुली निविदा सं. 07/2025–26 ::

अधीनस्थ कार्यालय फुलटाईम लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, सवाई माधोपुर हेतु कार्मिकों की संविदा सेवा मुख्यालय हेतु दिनांक 31.03.2026 तक के लिए ली जानी है। कार्मिकों की सेवा उपलब्ध करवाने हेतु विर्निदिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जी.एस.टी., आयकर, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से खुली प्रतियोगी बोली से निविदाये आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

पदनाम एवं पदों की संख्या जिनके लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है –

1. ऑफिस असिस्टेंट – 03
2. रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर – 01
3. ऑफिस पिओन – 03

अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू)	निविदा जारी करने की दिनांक	निविदा विक्रय करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी–वणिज्यिक) खोलने की दिनांक व समय
801,000/–	16020/–	500/–	12.06. 2025	25.06. 2025 प्रातः 11:00 AM	26.06.2025 प्रातः 11.30 AM	27.06.2025 प्रातः 10.00 AM

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुरे व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल districts.ecourt.gov.in/sawaimadhopur तथा http://sppp.raj.nic.in पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन शुल्क हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक 'सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर' के नाम बनाना होगा तथा निविदा प्रतिभूति राशि हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
3. निविदायें, तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा वित्तीय बोली प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनो लिफाफो पर नामांकन (तकनीकी निविदा प्रपत्र या वित्तीय निविदा प्रपत्र) कर एक बडे लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत की जायेंगी।
4. तकनीकी–वाणिज्यिक/क्वालिफाईड बिड दिनांक 27.06.2025 को प्रातः 10.00 एएम बजे कार्यालय में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की वित्तीय बोली उसी दिन अथवा आगामी दिवस को खोली जायेगी।
5. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
6. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक – 832 – 838 दिनांक – 12.06.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, सवाई माधोपुर/कार्यालय हाजा।
2. जिला कलेक्टर को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों में भिजवाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का श्रम करावें।
3. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, गंगापुर सिटी/बामनवास/बौंली/खण्डार जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि अपने नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करवाए।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सवाई माधोपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदा शुल्क 500/– ड्राफ्ट नं..... दिनांक..... बैंक.....

2. प्रतिभूति राशि हेतु ड्राफ्ट नं..... दिनांक..... बैंक.....

3. निविदा फार्म विक्रय करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.06.2025 समयः– प्रातः 11:00 AM

4. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय :– 26.06.2025 प्रातः 11.30 AM

5. निविदा खोलने की तिथि 27.06.2025 समय :– प्रातः 10.00 AM

6. बोलीदाता/संवेदक का नाम ----------

7. डाक का पता ----------

8.फोन/ मोबाईल नं.----------

9.ई–मेल ----------

10.बैंक का नाम ----------

IFSC Code ----------

खाता संख्या----------

11.बोलीदाता/ संवेदक द्वारा निम्नलिखित आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज प्रतिलिपी संलग्न है

क.सं.	विवरण	रजि.सं	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970				
	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
	GST				
	आय कर [पैन नम्बर]				
	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र				

12. बोलीदाता /संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष [2022–23, 2023–24 व 2024–25] में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए /बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था/ बैंकों में न्यूनतम निविदा में उल्लेखित या समान योग्यता वाले पदों पर एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगाना होगाः–

Scanned with OKEN Scanner

क.सं.	विभाग /संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कार्मिक का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये कार्मिक की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				

नोट – समिति को यदि संतुष्टि हो तो अनुभव की शर्त में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

13. मैं/हम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा जारी की गई निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक दिनांक में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर

वित्तीय बोली/ प्राईस बिड

कार्य आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी:–

संवेदक का नाम एवं पता.....

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको कों देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा। मय सं.				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.)	कुल राशि रू.
		कार्मिक / श्रमिकों की श्रेणी	मजदूरी की दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कार्मिक / श्रमिकों की सं.	राशि (प्रति प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कार्यालय सहायक	उच्च कुशल		03	9334/– रू.				
2	रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	उच्च कुशल		01	9334/– रू.				
3	ऑफिस पिओन	अकुशल		03	7410/– रू.				

न्यूनतम मजदूरी की कोई भी नई दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू.) राजस्थान सरकार के गजट में प्रकाशन होने पर ही प्रभावी मानी जायेगी। क्र.सं. 01 पर अंकित पद के लिए अधिकतम दर सभी कर सहित 14000/– रूपये, क्रम संख्या 2 के लिए 14000/– एवं क्र.सं. 3 पर अंकित पद के लिए 11,000/– रूपये निर्धारित है। इससे अधिक भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। अतः दरें अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए भरें। निर्धारित दरें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार परिवर्तनीय होगी।

नोट :–

1. सर्विस चार्ज की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट अंकित करें एवं प्रतिशत में अंकित नहीं कर राशि अंकित करें ।
2. शून्य व दशमलव दरों पर विचार नहीं किया जावेगा, राशि पूर्ण रू में लिखें।
3. न्यूनतम समान दरें प्राप्त होने पर उपापन समिति द्वारा तय किये गये मापदण्ड द्वारा कार्यादेश निर्णय किया जावेगा जिस पर निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।
4. सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र सवाई माधोपुर होगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर

Technical Bid Check List

S.No.	Technical Bid Requirement No (Please attached copy of the Following documents	Enclosed (Yes/No)
1.	Attested copy of PAN & Service Tax	
2.	Attested copy of registration certificate issued by competent Authority/Registrar	
3.	Required certificates/Licence/Documents should be copledted and updated. Such as labour license, P.F.reg E.S.I.C. Reg.	
4.	Technical Undertaking	
5.	Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)	
6.	Annexure –B (Statement of past Supplies & performance)	
7.	Annexure –C (Affidavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)	
8.	Financial Undertaking	
9.	Registration Certificate of business estabilishment/ business firm, at least in their own name/firms name	
10.	Details of the Bidder Firm	
11.	Bid Secuirty Detail	
12.	GST No 9Copy attaché)	
13.	Bidder must be attached income tax return of last two years	

Scanned with OKEN Scanner

निविदा पत्र की मुख्य शर्ते

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/ बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक /बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सपूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिक/श्रमिकों को मानदेय/मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिक/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के सांथ अनिर्वाय रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिक/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनूसार कार्मिक/श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. कार्मिक/श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक /बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान करना होगा।
7. संवेदक/ बोलीदाता को राज्य /केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार समस्त कार्मिक/श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., .ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक /बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक /बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कार्मिक/श्रमिकों के ई. पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियामानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक /बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई. एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक /बोलीदाता का होगा।
9. संवेदक /बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर [GST] की राशि अतिरिक्त रूप से देय होंगी किन्तु यह अधिकतम सीमा में ही सम्मिलित होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक /बोलीदाता की ही होगी। संवेदक /बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिर्वाय रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर [GST] की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक /बोलीदाता का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्घारित नियमों, उपनियमों व अधिसुचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक /बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं,

Scanned with OKEN Scanner

दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

11. यदि संवेदक /बोलीदाता एवं कार्य पर लगये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक /बोलीदाता की होगी। इसके लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यदि संवेदक /बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक /बोलीदाता को **Debar** कराने की कार्यवाही की जायेगी।
15. कार्मिकों की संख्या में कमी /वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
16. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं /संवेदकों सें, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
17. अनुबंधित बोलीदाता / संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कारने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/ कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
18. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली /प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
19. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (**Sub-let**) पर नहीं देगा।
20. **जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में निर्देशानुसार कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।**
21. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल /क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली /क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
22. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
23. बोली प्रतिभूति का समपहरण (**Forfeiture of Bid security**)
 सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभूंति राशि निम्न 'क' से 'ड' तक की शर्ते पूरी नही करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर 'के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगाः–

क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।

ग. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता।

ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

24. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

अ. बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र जारी होने के पश्चात सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में धरोहर राशि में सम्मिलित करते हुए डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के अनुसार एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरन किया जा सकेगा

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

26. भुगतानः–

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 07 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

27. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि सें अधिक – 5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%

(घ)) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि

Scanned with OKEN Scanner

चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

28. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/सस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
29. आयकर एवं जीएसटी टीडीएस की कटौति नियमानुसार की जायेगी।
30. निविदा दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।
31. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
32. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
33. निविदा विभाग से प्राप्त आदेशानुसार अथवा अन्य किसी भी प्रशासनिक कारण से किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। इसके लिए बोलीदाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अध्यक्ष
उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

Scanned with OKEN Scanner

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director, ICDS, Rajasthan
The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, WCD, Rajasthan

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Scanned with OKEN Scanner

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

Scanned with OKEN Scanner

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

ii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose bid is accepted.

Scanned with OKEN Scanner

(Annexure "E")

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिस सेवा प्रदाता कार्य की आपूर्ति का कार्य जहॉ कही भी किया है, उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षो में कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते है की हमे किसी भी न्यायालय मे सेवा प्रदाता कार्य के सन्दर्भ मे कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

Scanned with OKEN Scanner